न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०
अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या 30/2017 | तारीख दायरा 18/07/2017 | तारीख फैसला 17/12/2025

1–चमेलीबाई पुत्री नाथूलाल
2–सुल्तानबाई पुत्री नाथूलाल
3–मनभरबाई पुत्री नाथूलाल
4–नटटीबाई पुत्री नाथूलाल जातियान बैरवा निवासीगण ढिढोरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
5–बदामबाई पुत्री नाथूलाल (मृतक कायम मुकाम वारिसान)
5/1– कमलेश माता का नाम बदाम बाई पत्नी बजरंगलाल
5/2– रामवति उर्फ रामपति माता बदामबाई पत्नी बजरंगलाल जातियान बैरवा निवासीगण ढीढोरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

प्रार्थीगण

बनाम

1– मॉगीबाई पत्नी पप्पूलाल बैरवा निवासी जेतलहेडी तहसील मॉगरोल जिला बॉरा
2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

अप्रार्थीगण

प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता– श्री मनोज शर्मा एड0।
अप्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री बाबूलाल बैरवा एड0।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी. एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ढीढोरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की खाता संख्या 62 में खसरा नम्बर 199 रकबा 1.40 हैक्टर नहरी दोयम कृषि भूमि स्थित है उपरोक्त आराजी प्रार्थीगण के पिता व नाना नाथू पुत्र गुमाना की स्वअर्जित खातेदारी एवं कब्जे काश्त की थी, और इसी प्रकार ग्राम ढीढोरा की खसरा नम्बर 317 रकबा 0.14 है. नहरी द्वितीय प्रार्थीगण के पिता व नाना नाथूलाल की गैर खातेदारी की भूमि थी, जब तक नाथूलाल जी जीवित रहे वह उपरोक्त आराजी पर बतौर खातेदार व गैरखातेदार के रूप में काबिज काश्त करते रहे नाथूलाल जी की मृत्यु दिनांक 12.4.08 को हो गई है प्रार्थीगण ही नाथूलाल जी के एक मात्र उत्तराधिकारी है प्रार्थीगण के अलावा कोई अन्य व्यक्ति उनका उत्तराधिकारी नहीं है उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण उपरोक्त सम्पूर्ण आराजी पर बतौर खातेदार व गैरखातेदार के रूप में आज तक काबिज काश्त है जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है और निरंतर बिना किसी बाधा के उपरोक्त सम्पूर्ण आराजी का उपयोग एवं उपभोग करते हुये चले आ रहे है आगे प्रार्थना पत्र में सुविधा के अनुसार उपरोक्त आराजी को विवादग्रस्त आराजी कहा गया है। प्रार्थीगण के पिता व नाना की मृत्यु के बाद इंतकाल नम्बर 217 दिनांक 20.6.08 सें उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम 1 का नाम बतौर पत्नी रामदेव दर्ज कर दिया जबकि उससे रामदेव की मृत्य की 3 माह बाद ही पुनः विवाह पप्पूलाल निवासी जेतलहेडी से कर लिया था अप्रार्थी कम 1 का कोई कानूनी अधिकार विवादग्रस्त आराजी पर नहीं बनता था, क्योकि अप्रार्थी कम 1 में आज से 18 साल पहलें रामदेव की मृत्यु के 3 महिने बाद पुनः विवाह पप्पूलाल बैरवा निवासी जेतलहेडी तहसील मॉगरोल जिला बॉरा से कर लिया था, और अप्रार्थी कम 1 के संताने

भी पैदा हो चुकी है जिसका ग्राम जेतलहेडी मे मतदाता सूची में नाम, राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड बना हुआ है अप्रार्थी कम 1 नाथूलाल की कोई विरासतन सम्पति प्राप्त करने की अधिकारणी नही थी इंतकाल की पुश्त पर भी अंकित है कि अप्रार्थी कम 1 नाते चली गई है फिर भी इंतकाल अवैध व गैर कानूनी तरीके से तस्दीक किया गया उक्त इंतकाल सें अप्रार्थी कम 1 कों कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही होते है इंतकाल की प्रकिया एक फिसिकल कार्यवाही है। प्रार्थीगण के पिता व नाना नाथूलाल के एक मात्र पुत्र रामदेव था, जो नाऔलाद दिनांक 14.10.1989 को फौत हो गया उसकी मृत्यु के 3 महिने बाद ही उसकी पत्नी मांगीबाई ने पुनः विवाह कर लिया था, प्रार्थीगण के पिता व नाना नाथूलाल की उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी पुश्तेनी आराजी नहीं थी और नाथूलाल की मृत्यु दिनांक 12.4.08 को निर्ववसीयत हुई थी, विवादग्रस्त आराजी में मृतक पुत्र रामदेव का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता था, क्योकि नाथूलाल की मृत्यु 12.4.08 को हुई है और उनके पुत्र रामदेव की मृत्यु नाथूलाल से 18 वर्ष पूर्व दिनांक 14.10.1989 को हो चुकी थी, और विवादग्रस्त आराजी रामदेव में निहित नही हुई थी, तथा रामदेव की पत्नी अप्रार्थी कम 1 में पुनः विवाह पप्पूलाल बैरवा जेतलहेडी से रामदेव की मृत्यु के 3 माह बाद ही नाथूलाल की मृत्यु से लगभग 18 वर्ष पूर्व ही कर लिया था। मृतक पुत्र रामदेव अपने जीवित पिता नाथूलाल सें विवादग्रस्त आराजी मे सम्पति प्राप्त करने का अधिकार नही था, क्योकि उपरोक्त सम्पति नाथूलाल की स्वअर्जित सम्पति थी, वह पैतृकि संम्पति नहीं थी, जब रामदेव ही जीवित अवस्था में विवादग्रस्त सम्पति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नही था, तों उसकी पत्नी अप्रार्थी कम 1 जिसने पुनः विवाह कर लिया वह नाथूलाल की सम्पति प्राप्त करने की कानूनन अधिकारणी नही है हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पुनः विवाह करने वाली स्त्री अपने मृतक पति की सम्पति प्राप्त करने की अधिकारणी नही है। जब मृतक पुत्र का ही विवादग्रस्त सम्पति मे अधिकार नही है तो अप्रार्थी कम 1 का कोई अधिकार नहीं बनता है विवादग्रस्त आराजी नाथूलाल जी की स्वअर्जित खातेदारी व गैरखातेदारी की भूमि थी, उक्त विवादग्रस्त आराजी पर नामान्तकरण संख्या 217 दिनांक 20.6.08 अवैध व गैर कानूनी तरीके से अप्रार्थी कम 1 ने मिलकर खुलवाया और अपना नाम खाते मे दर्ज करवा दिया जिन्हे ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही था, इंतकाल की कार्यवाही एक फिसिकल कार्यवाही है जिससे अप्रार्थी कम 1 को कोई अधिकार तय नही होते है उक्त इंतकाल की जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 1.6.017 कों हुई इससे पूर्व प्रार्थीगण को उक्त इंतकाल की कोई जानकारी नही थी, जानकारी होने पर उक्त इंतकाल की अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई है प्रार्थीगण को यह कानूनी अधिकार हासिल है कि वह विवादग्रस्त आराजी पर अवैध व गैरकानूनी रूप से दर्ज अप्रार्थी कम 1 का नाम हटवावे और सम्पूर्ण आराजी पर प्रार्थीगण बतौर खातेदार अपना नाम दर्ज न्यायालय श्रीमान से इसकी घोषणा करावे। अप्रार्थी कम 1 का नाम अवैध व गैर कानूनी तरीके से दर्ज होने के कारण अप्रार्थी कम 1 के नियत में बायान्ति आ गई और वह विवादग्रस्त आराजी में दर्ज अपना 1/6 हिस्से की आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हो रही है तथा इसने कई व्यक्तियों से जमीन को वैचने की बात कर रखी है और विवादग्रस्त आराजी पर अवैध व गैरकानूनी तरीके से कब्जा करने पर आमादा है। दिनांक 30.5.017 को अप्रार्थी कम 1 में प्रार्थीगण को धमकी दी कि वह अपने हिस्से की आराजी को रहन, बेचान, दान, करेगी प्रार्थीगण को उसके 1/6 हिस्से आराजी पर काशत नही करने देगी उन्हे बेदखल करेगी और प्रार्थीगण नें उसमे बाधा पहुंचाई तों खेत पर ही प्रार्थीगण को जान से मार देगी इस बाबत, प्रार्थीगण ने अप्रार्थी

क्रम 2 से निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी क्रम 1 का नाम गलत रूप से दर्ज किया गया इसका नाम हटावें सम्पूर्ण आराजी पर प्रार्थीगण का नाम दर्ज करें, और अप्रार्थी क्रम 1 को प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे मदाखलत व मजहामत करने से रोकें तो इस पर अप्रार्थी क्रम 2 ने कहा कि मैं कुछ नहीं करूंगा अदालत मे जाकर कार्यवाही करो इस कारण प्रार्थीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह न्यायालय हाजा से विवादग्रस्त आराजी पर अवैध व गैर कानूनी रूप से दर्ज अप्रार्थी क्रम 1 का नाम हटवावें तथा सम्पूर्ण आराजी पर प्रार्थीगण बतौर खातेदार अपना नाम दर्ज करावे और न्यायालय हाजा सें इसके लिए खातेदारी की घोषणा करावें तथा अप्रार्थी क्रम 1 कों विवादग्रस्त आराजी पर अवैध कब्जा करने से रोकें उसके विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करे, इसलिये यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय श्रीमान मे प्रस्तुत है। वाद कारण दिनांक 30.5.017 को अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा विवादग्रस्त भूमि को खुर्द–बुर्द करने व जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने की धमकी देने व अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा अप्रार्थी क्रम 1 का नाम खाते से नही हटाने के कारण उत्पन्न हुआ। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस पूर्ण रूप से साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के ही पक्ष में है और अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही होनी है यदि अप्रार्थी क्रम 1 के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से निषेधित नही किया गया तों अप्रार्थी क्रम 1 राजस्व रिकोर्ड में दर्ज अपने नाम का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी को दिगर व्यक्ति को रहन बैचान आदि कर देगी व प्रार्थीगण को विवादित आराजी से बेदखल कर देगी उन्हे विवादग्रस्त आराजी पर काश्त नहीं करने देगी जिससे प्रार्थीगण कें परिवार की भूखे मरने की नोबत आ जायेगी और उन्हे कई अन्य वाद विवादो में उलझना पडेगा जिससे प्रार्थीगण रूपयो पैसो से बर्बाद हो जायेगे और उन्हे अपार क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्याकन किया जाना सम्भव नही होगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थी क्रम 1 के विरूद्ध ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादग्रस्त आराजी ग्राम ढीढोरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की खसरा नम्बर 199 रकबा 1.40 है. व ख.न. 317 रकबा 0.14 है. गैर खातेदारी को रहन, बैचान, दान वसीयत खुर्द–बुर्द आदि नहीं करे तथा विवादित आराजी पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व उनके उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार की मदाखल व मजहामत न तो स्वयं करे, और न ही ऐसा कार्य अप्रार्थी क्रम 1 अपने किसी अन्य प्रतिनिधियो से करावे।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री मनोज शर्मा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी क्रम 1 की ओर से बाबूलाल बैरवा एड0 ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी क्रम 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वाके माल ढिढोरा पटवार हलका विजयपुरिया तह0 पीपल्दा जिला कोटा संवत 2076–79 खाता सं0 नया 62 पुराना 62 में ख0नं0 199 रकबा 1.40है0 नहरी दोयम कृषि भूमि में प्रार्थी का 1/6 हिस्सा नियत है। इसी प्रकार खाता सं0 नया 140 पुराना 138 में ख0नं0 317 रकबा 0.14है0 में भी 1/6 हिस्सा नियम है जिसमें अप्रार्थी शांति पूर्वक कृषि कार्य करती चली आ रही है। संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि पर जब तक विधिवत विभाजन नही हो जाता जब तक प्रत्येक ख0नं0 व प्रत्येक इंच जमीन पर वादी व प्रतिवादीगण का हक व अधिकार होता है। अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी जमीन पर हक होता है। ऐसी स्थिति में किसी भी पक्ष के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है तथा संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि पर किसी भी पक्ष को सुविधा

का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति प्रथम दृष्टया साबित नहीं होती है। तो माननीय न्यायालय द्वारा ऐसी स्थिति में किसी भ पक्ष में वादी या प्रतिवादी के हक में अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाता यह विधि के विपरीत है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र वास्ते निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का हक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विधि के विपरीत व असत्य कथनों पर आधारित होने से खारिज करने का आदेश देने की मेहरबानी फरमाये।

उभयपक्ष बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/वादी ने कथन किया कि रामदेव की मृत्यु उपरांत अप्रार्थी कम 1 नाते चली गई तथा विवादित सम्पत्ति नाथू पुत्र गुमाना की स्वअर्जित थी। रामेदव पुत्र नाथू की मृत्यु से पहले हो गई अतः न तो रामदेव न ही मांगीबाई का कोई अधिकार विवादित आराजी में बनता है। राजस्व रिकॉर्ड में मांगीबाई 1/6 की हिस्सेदार दर्ज होने के कारण भूमि के खुद-बुर्द होने की संभावना है अतः अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि जा नामान्तरण दर्ज कर स्वीकार किया है पूर्णतः नियमों से संगत है। अप्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है। इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। उभयपक्ष बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी तथा अप्रार्थी राजस्व अभिलेख में खातेदार अंकित है। विवादित भूमि के पैतृक या स्वअर्जित होने का निर्णय इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से नहीं हो सकता है। परन्तु वर्ष 2008 में 26 जून का दर्ज व स्वीकृत नामान्तरण संख्या 217 की अपील हेतु प्रार्थी ने कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की। इंतकाल की जानकारी होना 01.06.2017 को प्रार्थना पत्र में अंकित किया है। चूंकि उभयपक्ष सहखातेदार है तथा प्रथम दृष्टया मामला उभयपक्ष के लिए बनता है परन्तु अपूरणीय क्षति तथा सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हो पाये है। प्रार्थना पत्र 18.07.2017 को दायर करने के बाद बहस की दिनांक 03.12.2025 तक किसी प्रकार की कोई क्षति होना न तो बहस में उल्लेखित था न ही यह विवेचन किया गया कि आगामी समय में ऐसी क्या हानि हो सकती है। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध बिना किसी ठोस आधार के अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना पक्षकारों के लिए अनावश्यक कठोरता वाला कदम होगा जिससे वे अपने साम्पत्तिक अधिकारों में व्यवधान महसूस करेंगे। अतः प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट-ट्रेक इटावा